

निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक: /नि0वि0ले0/स्था0-2018/2024-2025 दिनांक: अप्रैल, 2024।

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना सं0- 12/xxxvi(3)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 फरवरी 2018 के द्वारा पत्र के साथ संलग्न राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1वर्ष 2018)" में दिये गये उपबन्धों के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-102/XXX(2)/ 16/30(13)/2017 दिनांक 14 अप्रैल 2018 के क्रम में निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड एवं नियंत्रणाधीन वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालयों को सुगम व दुर्गम में चिन्हीकरण किया गया है। तत्क्रम में निदेशालय एवं नियंत्रणाधीन वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालयों में तैनात कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण के प्रयोजनार्थ उपलब्ध रिक्तियों एवं सम्भावित रिक्तियों तथा अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची निदेशालय द्वारा जारी की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अधिनियम की धारा-13 में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिनियम में उल्लिखित परिस्थितियों से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख संलग्न किये जाने अनिवार्य हैं।

(कविता नबियाल)

निदेशक,

पत्रांक व दिनांक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष।
3. स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक।
4. प्रचार-प्रसार के प्रयोजनार्थ विभागीय वेब साईट में अपलोड करने हेतु।

ह0/-

(कविता नबियाल)

निदेशक,